न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिहं राजावत(आर.ए.एस.)
आर0सी0एम0एसः–2019 / 00217
मुकदमा नम्बरः– 86 / 2019

श्रीलाल पुत्र श्री मामराज जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं(फौत)
1.छोटूराम पुत्र श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
2.कैलाश पुत्र श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
3.मुरारी पुत्र श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
4.राधाकृष्ण पुत्र श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
5.हवाईराम पुत्र श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
6.महेश पुत्र श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
7.कोशल्या पुत्री श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
8.सुमित्रा पुत्री श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
9.नोरगलाल पुत्र(फौत) श्रीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तह. खेतड़ी जिला झुझुनूं।
9 / 1. परमेश्वरी पत्नी नोरगलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तह. खेतड़ी जिला झुझुनूं।
9 / 2. रामचन्द्र पुत्र नोरगलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तह. खेतड़ी जिला झुझुनूं।
9 / 3. महेन्द्र पुत्र नोरगलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तह. खेतड़ी जिला झुझुनूं।
9 / 4. मजूं पुत्री नोरगलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तह. खेतड़ी जिला झुझुनूं।
9 / 5. लक्ष्मी पुत्री नोरगलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तह. खेतड़ी जिला झुझुनूं।

वादीगण....

बनाम

1.रामनिवास पुत्र जगना जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
2.दुर्गाप्रसाद पुत्र जगना जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
3.पुरूषोतम पुत्र जगना जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
4.रोहिताश कुमार पुत्र जगना जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
5.ग्यारसी देवी पुत्री जगना जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
6.महाबीर पुत्र रामजीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
7.पवन पुत्र रामजीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।
8.भूमिधारक तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं

प्रतिवादीगण ....

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन

निर्णय दिनांकः–19.08.202[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने जरिये वकील वादपत्र [illegible] प्रस्तुत किया है कि ग्राम गढला [illegible] पटवार हल्का गढला कलां तहसील [illegible] सरहद में भूमी खसरा नम्बर 24, 25,

Scanned with CamScanner

के नाम से संबोधित किया जाएगा। उक्त वर्णित भूमि वादीगण [illegible]
लगायत 7 की पैत्रिक भूमि है।

उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हिस्सों का अंकन पुराने राजस्व रिकार्ड के समय से सही नहीं है। राजस्व रिकार्ड में सभी खातेदारों के नाम मात्र अंकन है, जबकि उक्त वर्णित भूमि में वादीगण का हिस्सा 110/414, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 145/414, प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 का हिस्सा 159/414 है, तथा इसी अनुसार मौका पर काफी पुराने समय से काबिज काश्तकार है। कब्जेकाश्त को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं हैं। इसलिए वादीगण ने यह वाद रिकार्ड दुरूस्ती का पेश किया हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 29.03.2019 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ तौर पर इन्कार कर दिया, इस कारण वादकारण पैदा हुआ।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम गढला खुर्द पटवार हल्का गढला कलां तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमी खसरा नम्बर 24, 25, 26 कुल किता 3 कुल रकबा 4.1400 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादीगण को 110/414 हिस्सें का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 145/414 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6, 7 को 159/414 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रकरण में विधिवत विभाजन किया जाना प्रार्थनीय है।

वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 जरिये वकील न्यायालय में हाजिर आए इकबालिया जबाब दावा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7, 8 बावजूद तामील हाजीर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वादपत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र [illegible] अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम गढला खुर्द पटवार हल्का गढला कल[illegible] तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमी खसरा नम्बर 24, 25, 26 कुल किता 3 कुल रक[illegible] 4.1400 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 [illegible] पैत्रिक भूमि है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हिस्सों का पुराने राजस्व रिकार्ड के समय से सही नहीं है। राजस्व रिकार्ड में सभी खातेदारों के नाम मात्र अंकन है, जबकि उक्त वर्णित भूमि में वादीगण का हिस्सा 110/414, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 145/414, प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 का हिस्सा 159/414 है, तथा इसी अनुसार मौका पर काफी पुराने समय से काबिज काश्तकार है। कब्जेकाश्त को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं हैं। अतः ग्राम गढला खुर्द पटवार हल्का गढला कलां तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमी खसरा नम्बर 24, 25, 26 कुल किता 3 कुल रकबा 4.1400 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादीगण को 110/414 हिस्सें का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 145/414 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6, 7 को 159/414 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रकरण में विधिवत विभाजन किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रिकार्ड जमांबदीयों के अवलोकन से साबित है कि वादीगण के पिता श्रीलाल उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार वादीगण को 110/414 हिस्सें का, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 145/414 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6, 7 को 159/414 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है, लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त चाहे गये हिस्सों की पुष्टि होती हो। वादीगण प्रथम दृष्टया प्रस्तुत वादपत्र साबित करने में असफल रहें। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 19.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner